RJPP, Vol. XXI, No.II, Apr.23-Sep.23, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411, Impact Factor 8.858

भ्रष्टाचार एक समस्या – दुष्परिणाम एवं भ्रष्टाचार पर गठित समितियाँ : एक अध्ययन

डॉ० ममता सागर
प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
एस०एम०पी०एम०पी०जी० कॉलेज
माधवपुरम, मेरठ

इन्दु
शोधार्थिनी
समाजशास्त्र विभाग
एस०एम०पी०एम०पी०जी० कॉलेज
माधवपुरम, मेरठ
ईमेलः indub5386@gmail.com

सारांश

वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की समस्या सभी देश में पाई जाती है और इसका कोई न कोई रूप सर्वत्र देखने को मिलता है प्राचीन समय में छोटे छोटे राज्य होने और आमने सामने के घनिष्ठ संबंध तथा पारस्परिक परिचय के कारण भ्रष्टाचार की गंभीर समस्या नहीं थी, उस समय अधिकारियों का अधिकार–क्षेत्र भी सीमित था। अतः उनके भ्रष्ट होने के अवसर कम थे। लघु समाजों एवं प्राचीन समाजों में राजनीतिक पद उच्च जातियों के लोगों के पास ही थे, अतः उस समय भ्रष्टाचार कुछ सीमित लोगों तक ही व्याप्त था। चाणक्य ने अपनी पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों का उल्लेख किया है, भ्रष्टाचार में व्यक्ति सामाजिक नियमों का सोच समझकर उल्लंघन करता है तथा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के हितों की अवहेलना करता है। भ्रष्टाचार में एक व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, रिश्वत लेता है, निर्माण के कार्यों में भी घटिया स्तर की वस्तुओं का उपयोग करता है, पक्षपात का सहारा लेता है। आजादी के बाद भारत में भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ी है, और व्यापारी, उद्योगपति, विधायक, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक एवं राजनीतिज्ञों द्वारा समय–समय पर भ्रष्टाचार किये जाने के अनेकों मामले सामने आए हैं। इसके निवारण के लिए समय समय पर कई समितियां एवं विभागों की भी स्थापना की जा रही है।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 23.08.2023
Approved: 26.09.2023

डॉ० ममता सागर,
इन्दु

भ्रष्टाचार एक समस्या – दुष्परिणाम एवं भ्रष्टाचार पर गठित समितियाँ : एक अध्ययन

RJPP Apr.23-Sep.23,
Vol. XXI, No. II,

PP. 261-269
Article No. 36

Online available at:
https://anubooks.com/journal/rjpp

भूमिका

भ्रष्टाचार की समस्या विश्व की प्रमुख समस्याओं में से एक है, विश्व के अधिकतर देशों में भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जमा ली है। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती जा रहीं हैं, जिस तेजी से अनेक नेताओं के नाम भ्रष्टाचार से जुड़ने लगे हैं लगता है कि 21 वीं शताब्दी में भ्रष्टाचार को बढ़ने से रोकना असंभव होगा, बहुधा हम राज्य और केंद्र के उच्च राजनीतिज्ञ को यह कहते हुए सुनते हैं कि "हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध करना है", "भ्रष्टाचार की बुराई से लड़ना है", "भ्रष्टाचार से हम कोई समझौता नहीं करेंगे", "किसी भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को माफ नहीं किया जाएगा चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों न हो"। फिर भी यह सर्वविदित है कि हमारा देश भ्रष्टाचार में कितना डूबता जा रहा है एक मंत्री सरकारी भूमि को अपने निजी प्रयोग के लिए वास्तविक मूल्य की चौथाई में खरीदने में सफल हो जाता है एक अत्यंत वरीष्ठ अधिकारी अपने मकान के निर्माण के लिए निरूशुल्क मार्बल, लकड़ी व अन्य चीजों का प्रबंध करता है।

परिभाषा

भ्रष्टाचार ऐसा अनैतिक एवं भ्रष्ट आचरण है जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सत्ता शक्ति का दुरुपयोग करता है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार को रिश्वत का कार्य कहा जा सकता है, इसे निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिसमें कानून तोड़ना शामिल हो या जिससे समाज के मानदंडो का विचलन हुआ हो।

डी०एच०बेलीः– "निजी लाभ के विचार के परिणामस्वरूप सत्ता का दुरुपयोग जो धन संबंधित नहीं भी हो सकता है"।

एन्ड्रिस्की (1983): – "ऐसे तरीकों से सार्वजनिक शक्ति का निजी लाभ के लिए प्रयोग जो कानून का उल्लंघन करता हो"।

इलियट व मैरिलः– "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है"।

भारतीय दंड विधान की धारा 161

कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जब कोईलाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण ढंग से किया जाए तो यह भ्रष्टाचार है तथा इससे संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचार है।

भ्रष्टाचार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी कोई नई अवधारणा नहीं है सदियों पूर्व हिंदू विधि के प्रवर्तकमहर्षि मनु ने मनुसंहिता में तत्कालीन समाज में व्याप्त घूसखोरी का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है।

आचार्य कौटिल्य (चाणक्य 350–275 ई०पू०) ने अर्थशास्त्र में लिखा है, "जिस प्रकार कब तालाब मछलीयों को गटक जाता है" कोई नहीं देख सकता, उसी प्रकार नौकरशाही में अधिकारी वर्ग कब भ्रष्ट आचरण करें यह पता लगाना मुश्किल है। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें अत्यंत गहरी हो चुकी है मर्यादाएं धीरे–धीरे नष्ट हो रही हैं। नैतिक मूल्यों के पतन के कारण सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार दीमक की तरह व्याप्त होकर व्यवस्था को खोखला किए जा रहा है।

भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी वह है जब अधिकार सम्मपन्न व्यक्ति अपने पद–प्रभाव का उपयोग अनुचित लाभ प्राप्ति हेतु स्वार्थपूर्ण तरीके से करता है। भारत में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार प्रत्येकक्षेत्र– सामाजिक, वैधानिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनायिक, प्रशासनिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है, भ्रष्टाचार सभी प्रकार के अपराधों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। भारत में चंद नेता, खास अफसर, लामबंद व्यापारी, उद्योगपति, बदनाम गुन्डे तथा कथित धर्म अधिकारी एवं गैर–सरकारी संगठन, एन ०जी०ओ० आदि सभी भ्रष्टाचार के स्तंभ हैं।

स्वतंत्रता के बाद यद्यपि राष्ट्रीय स्तर का उच्च राजनीतिक अभिजात वर्ग एक दो दशकों तक अति–ईमानदार बना रहा किंतु तीसरे (1962) और चौथे (1967) चुनावों के बाद नवोदित राजनीतिक अभिजात वर्ग ने अपने ईमानदार होने के विषय में जनता का विश्वास खो दिया। सभी इस तरह के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों ने छोटी बातों के लिए बड़ी–बड़ी रिश्वतें स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, आज केंद्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर ईमानदारी छवि के मंत्रियों और प्रशासकों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम संथानम समिति, केंद्रीय सतर्कता आयोग, एन०एन वोहरा समिति 1993 हाल ही पारित लोकपाल विधेयक सहित भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने हेतु कुछ प्रयास किए गए हैं।

कुछ अपवादों को छोड़कर आजादी के दो दशक बाद तक देश में एक आदर्श एवं दर्शन था, नौकरशाही एवं राजनीतिक नेतृत्व दोनों ईमानदारी को प्रोत्साहन देते थे, जिससे भ्रष्टाचार की प्रक्रिया बढ़ नहीं पाती थी, पर 1970 के दशक के बाद इसमें जबरदस्त बदलाव आया, राजनैतिक नैतृत्व एवं पार्टी की राजनीतिक प्रक्रिया में विघटन और नवगठन दोनों शुरू हुआ, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद और धर्म का राजनीति से घोलमेल शुरू हुआ और धीरे–धीरे राजनीतिक नेतृत्व में भी इसका विस्तार होने लगा। राजनीति के नैतिक स्तर एवं आदर्शवादी दबाव में विकार उत्पन्न होता गया। इससे राजनीतिक तत्व ज्यादा भ्रष्ट तरीकों की तरफ बढ़े, एक ओर से ज्यादा मजबूत राजनीतिक दलों के होने, ज्यादातर नेताओं में व्यक्तिगत महत्वा कांक्षा ज्यादा तीव्र होने और बार–बार सरकार बदलने से आने वाली राजनीतिक अस्थिरता ने राजनीतिक प्रतिष्ठान को भ्रष्ट बनाया, फिर धीरे धीरे अन्य क्षेत्र भी इसकी चपेट में आते गए। पहले रिश्वतखोरी का आर्थिक पैमाना बहुत बड़ा नहीं था पर राजनीति एवं भ्रष्टाचार के पूंजीकरण के कारण हर क्षेत्र में पैसे का लेनदेन बहुत बढ़ गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ोतरी हुई है।

भारत में भ्रष्टाचार मूलतः 1950 के दशक की एक अनहोनी शुरुआत है। 1957 के मूदडा कांड को भारतीय गणतंत्र का पहला घोटाला माना जाता है, जिसमें राजनीति और किसी पूँजीपति के बीचअपवित्र गठजोड़ था। इसके पश्चात जीप घोटाला मामला, जिसमें ब्रिटेन स्थित तत्कालीन उच्चायुक्त कृष्णा मेनन का नाम उछला था, इसके पश्चात धरमतेजा घोटाला, बोफोर्स एवं टूजी घोटाले तक चलता गया। 1980–1990 के दशक में भी अनेक केंद्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री उन उच्चतम स्तर के राजनीतिज्ञों में थे, जिन पर अपने राजनीतिक सत्ता के काल में भ्रष्ट तरीके को अपनाने का आरोप लगा था, तब से एक बड़ी संख्या में मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और उच्चस्तरीय नौकरशाहों पर लगभग सभी राज्यों में अवैध रूप से धन संग्रह औरभाई–भतीजावाद अपनाने के आरोप लगे हैं। सरकार की

लाइसेंस प्रणाली, नियंत्रण के नियमों और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तारने जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का विस्तार किया है।

भ्रष्टाचार केवल भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों में ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि अनेक यूरोपीय देशों में भी फैल रहा है समृद्ध और विकसित देशों में भ्रष्टाचार की कल्पना तक नहीं की जा रही थी परंतु अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण होने के साथ ही साथ चिंतनीय भी है।

भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु बहु प्रतीक्षित लोकपाल विधेयक को आखिरकार 17–18 दिसंबर 2013 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया और 16 जनवरी 2014 से लागू हो गया है। भ्रष्टाचार के मामलों में 180 देशों में भारत 85 वें स्थान पर है। (भ्रष्टाचार सूचकांक 2021)

फोर्ब्स रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की खुली अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ विकास की संभावनाएँ सकारात्मक है। आज भ्रष्टाचार हमारे देश की हवा में घुल मिल चुका है, भ्रश्टाचार की जड़ें चूंकि समाज में निहित है, अतः भ्रष्टाचार का निदान भी सामाजिक, सामूहिक एवं समाजशास्त्रीय परीपेक्ष्य में ही संभव है।

भ्रष्टाचार को कई राजनीतिक दलों ने राजनीतिक की लूट–खसोट का माध्यम बना लिया है, देश की जनता भ्रष्टाचार एवं महंगाई की चक्की में पिसती रहती है। विदेश में जमा काले धन को स्वदेश लाने की मांग की जाती रहती है लेकिन इन सब प्रयास के बावजूद पिछले दशकों में काला धन विदेश भेजने के मामले में भारत का पांचवां स्थान है। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार खो रहा है। जहाँ विकास संभावनाएँ सकारात्मक है क्योंकि यहाँ युवाओं की बड़ी आबादी के अलावा निर्भर जनसंख्या कम है। साथ ही बचत और निवेश दर मजबूत है हालांकि गरीबी, भ्रष्टाचार, हिंसा, महिलाओं से भेदभाव, अपर्याप्त बिजली उत्पादन, कमजोर वितरण तंत्र, अप्रभावी बौद्धिक संपदा अधिकार, अपर्याप्त परिवहन और कृषि आधारभूत संरचना यही की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, इसके अलावा गैर कृषि रोजगारों के सीमित अवसर, गुणवत्तापूर्ण मूलभूत और उच्च शिक्षा सुविधाओं की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन की गंभीर समस्याएं हैं।

केंद्र और अधिकांश राज्य सरकारों के अधीन चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों की बदहाली हमारे केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री की नीती एवं नीयत के साथ उनकी योग्यता और क्षमताओं को उजागर करती है, कम से कम 200 सार्वजनिक उपक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा और लगभग 500 राज्य सरकारों द्वारा संचालित है। ये सार्वजनिक उपक्रम ब्लैक होल के समान ही इन पर असीमित धन की बर्बादी हुई है। इन जन उपक्रमों का प्रत्येक विभाग लालफीताशाही सेबंधा हुआ है, आज राष्ट्र की नैतिकता का क्षय हो चुका है, विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी उपभोक्ता संस्कृति ने मानवता का भक्षण कर लिया है। राष्ट्र को मजबूत एवं शक्तिशाली बनाना है, समृद्धशाली बनाना है तो हमें उन मूल्यों को अंगीकार करना होगा जो हमारी अविनाशी विरासत की जीवन शक्ति है। भ्रष्टाचार विषय से संबंधित कुछ अध्ययन कर्ताओं ने अपने अध्ययन में यह लिखा हैः–

1. डॉक्टर गुलशन कुमार ने अपने लेख "ए स्टडी ऑन करप्शन इन इंडिया" में लिखा है कि भ्रष्टाचार तार्किक रूप से भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में शामिल हो गया है। लेकिन

भारतीय संसद, व्यापारी, नीति निर्माता और नागरिक समाज ऐसी समस्याओं के लिए कुशल भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से निपटने में नागरिक समाज संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

2. देवराय और भंडारी (2011) के अनुसार भारत को भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए अधिक कानूनों की आवश्यकता नहीं है बल्कि कम कानूनों की आवश्यकता है, जो कानून लागू किए गए हैं।
3. कंदुकुशी (2015) ने अपने अध्ययन में पाया भारत के शीर्ष प्रमुख घोटाले पर प्रकाश डाला। अधिकांश घोटाले नौकरशाहों और अमीरों द्वारा किए गए। देश के लोग, उन्होंने रिश्वत, बैंक ऋण और गारंटी आदि के रूप में हमारे देश को लूटा है।
4. वीटो तनजी (1998) "करप्शन अराउंड द वर्ल्ड, कासॅस, कान्सक्वेन्सेस, स्कोप एण्ड कर्स" ,यह आर्थिक विकास के संदर्भ मे भ्रष्टाचार की लागत पर जोर देता है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सस्ती नहीं हो सकती है और राज्य के सुधार से स्वतंत्र नहीं हो सकती है। यदि कुछ सुधार नहीं किए जाते हैं तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सीधे तौर पर की जाने वाली कार्रवाइयों के बावजूद भ्रष्टाचार एक समस्या बनी रहने की संभावना है।
5. एनी पीटर (2019) "करप्शन इज वॉयलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स" अत्यधिक भ्रष्ट माने जाने वाले राज्यों के साथ–साथ वे राज्य भी खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने दोनों सामाजिक नुकसानों के बीच एक नकारात्मक प्रतिक्रिया पाश मान लिया है कि भ्रष्टाचार मानवाधिकारों के आनंद को कमजोर करता है और साथ ही भ्रष्टाचार की निंदा करने और उसका मुकाबला करने के लिए मानव अधिकारों के एक मानक ढांचे के रूप में नियोजित करते हैं।

भ्रष्टाचार के कारण

भ्रष्टाचार के अभ्युदय के अनेक कारण हैं ऐसे राजनीतिक अभिजात वर्ग का अभ्युदय, जो राष्ट्रहित के कार्यक्रम को और नीतियों की अपेक्षा अपने हित में विश्वास करता है स्वतंत्रता के बाद प्रथम दो दशकों में राजनीतिक अभिजात इस हद तक ईमानदार, समर्पित और राष्ट्रवादी थे कि वे हमेशा देश की प्रगति के लिए कुछ न कुछ कार्य करते थे, भ्रष्टाचार के दौरान कुछ मुददे जरूर उछले थे परंतु उनका कोई निश्चित परिणाम नहीं था, कम संख्या में थे तथा मामले भी छोटे थे। स्वहित वाले राजनीतिक अभिजन का अभ्युदय, सरकार की आर्थिक नीतियां, आवश्यक वस्तुओं में कमी, व्यवस्था में परिवर्तन, अप्रभावी प्रशासनिक संगठन, सैन्य औद्योगिक गठजोड़, समान्तर अर्थव्यवस्था, राजनीति का अपराधीकरण और राजतंत्र की निजीकरण एवं भ्रष्टाचार के कारणों को आर्थिक, सामाजिक, वैधानिक, न्यायिक और राजनीतिक श्रेणियों में भी रखा जा सकता है।

आर्थिक कारणों से उच्च जीवनशैली की आकांक्षा, लाइसेंसिंग प्रणाली तथा ज्यादा लाभ लेने की प्रवृत्ति है। सामाजिक कारणों में जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यों में गिरावट, अशिक्षा, सामंती प्रवृत्तियां, शोषणवादी सामाजिक संरचना है।

वैधानिक कारणों में अपर्याप्त कानून पालन कराने में ढील आदि है। न्यायिक कारणों में व्यवस्था, विलंब अन्य न्यायिक उदासीनता, न्यायाधीशों की प्रतिबद्धता की कमी तथा तकनीकी कारणों में अपराधियों को छूटा जाना है। राजनीतिक कारणों में राजनीतिक संरक्षण, अप्रभावी राजनीति नेतृत्व, राजनीतिक तटस्थता आदि है।

भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय

देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अनेक आयोग बने प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री द्वारा श्री कस्तूरी रंगासंथानम (1895–1980) की अध्यक्षता में एक भ्रष्टाचार निरोधक समिति का गठन 1962 में किया गया था और कुछ सुझाव भी दिए गए थे। सतर्कता अधिकारियों को भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने की स्वतंत्रता देना, सतर्कता अधिकारियों को कुशल कार्य के लिए प्रोन्नति का आश्वासनदेना, उच्चस्थ अधिकारियों केमामलों की जांच पड़ताल के लिए सतर्कता अधिकारियों को उनके मूल कैडर में वापस भेजने से सुरक्षा का आश्वासन देना, केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय लोक सेवाओं और तकनीकी सेवाओं को प्रतिनिधित्व देना (यह सिफारिश 1998 के अंतिम महीनों में सतर्कता आयोग का पुनर्गठन करके लागू कर दी गई) सतर्कता विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को विभाग के नियमों और कार्यप्रणाली के विषय में गहन प्रशिक्षण देना क्योंकि सतर्कता के 80% मामलों की छानबीन निचले स्तर पर ही होती है।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्र सरकार और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित चार विभागों की स्थापना भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के अंतर्गत की 1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रशासनिक सतर्कता विभाग। 2. केंद्रीय जांच ब्यूरो। 3. राष्ट्रीय कृत बैंको/सार्वजनिक उपकरणों/मंत्रालयों विभागों में घरेलू सतर्कता इकाइयों और 4. केंद्रीय सतर्कता आयोग आदि बनाये गये। भारत में भ्रष्टाचार रोकने हेतु वर्ष 1947 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पारित किया गया था, सरकारी कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न आचार संहिता भी मौजूद हैं लेकिन अब लोकपाल कानून तथा नए भ्रष्टाचार निरोधक कानून में कुछ अपेक्षाएं अवश्य है।

सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध किए गए प्रयास

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (1947), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988), भ्रष्ट तरीके से प्राप्त की गई गैर कानूनी संपत्ति को जब्त करना, सरकार द्वारा 2011 में बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009, ओडिसा विशेष न्यायालय अधिनियम 2006, राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम 2012 लागू किए गए।

भारत में विहसलब्लोअर कानून 21 अप्रैल 2004, भ्रष्टाचार पर संथानम समिति, केंद्रीय सतर्कता आयोगब अब (1964), संयुक्त राष्ट्र संघ, राजस्थान में भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए नए कानून, राजस्थान गारंटी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 (14 नवंबर 2011से लागू), राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012 (1अगस्त 2012 से लागू), राजस्थान स्पेशल कोर्स (दिसंबर 2012 से लागू) राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट् एक्ट 2012 (26 जनवरी 2013 से लागू) भ्रष्टाचार रोकने के लिए गुन्नार मिर्डल ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं कि लाइसेंस तथा परमिट संबंधी अधिकार

पर इस प्रकार के नियंत्रण हो कि भ्रष्टाचार ने पनपे, कम वेतन पाने वालों के लिए वेतन, सामाजिक स्तर व प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए व सतर्कता मूलक कार्यवाही बढ़ाई जाए साथ ही साथ घूस देने वाले के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाए, जो लोक शिकायत करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाने के साथ ही साथ भ्रष्टाचार संबंधी झूठी खबरें छापने वाले समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

भ्रष्टाचार पर न्यायिक दिशानिर्देश

'असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' नामक संस्था द्वारा दायर 1999 की याचिका पर 3 मई 2002 को उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश जारी किया है कि किसी भी चुनाव में उम्मीदवार बनाने वाले व्यक्ति को हलफनामा देकर अपने बारे में कुछ खास जानकारी देनी होंगी जैसे अपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो, संपत्ति का विवरण, शैक्षणिक योग्यता आदि। गिल केस (1978) में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने चुनाव प्रक्रिया में भ्रष्टाचार होने की बात कही थी। सिंबल ऑर्डर केस (1985) और कॉमन कॉस केस (1986) में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी भ्रष्टाचार के बारे में टिप्पणी की थी। 1993 में वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में अपराधियों एवं भ्रष्टाचारी नेताओं और नौकरशाहों के गठजोड़ की पड़ताल की थी। एन०एन वोहरा कमेटी ने देश में भ्रष्टाचार के लिए राजनीति के अपराधीकरण को उत्तरदायी माना है।

भ्रष्टाचार पर गठित समितियां

राजनेताओं और सार्वजनिक कंपनियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा एक दर्जन से अधिक आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं, समितियों में सर्वाधिक चर्चित 'वोहरा समिति' है जिसकी स्थापना 1993 में भारत मे भ्रष्टाचार के अध्ययन के लिए की गई थी। इससे सरकारी कार्यकर्ता, राजनेता व माफिया संगठनों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाना था। समिति ने 5 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट 1995 को संसद के दोनों सदनों में रखी गयी। इस रिपोर्ट में राजनीतिज्ञों और अपराधियों के बीच गठजोड़ पर विध्वंसक प्रहार किए गए है। भारत के 11 राज्यों बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आदि में मंत्रियों, विधायको, सहकारी कार्यकर्ताओं तथा अन्य सार्वजनिक कार्यकर्ता के विरुद्ध प्रविष्ट आचार के आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्त की स्थापना की गई राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति के लिए संसद में विधेयक को पारित किया जा चुका है। देश में भ्रष्टाचार पर गठित आयोग एवं निम्न समितियों जैसी–संथानम कमेटी 1962, दास आयोग 1963, अयंगर आयोग 1965, खन्ना आयोग 1967, कपूर आयोग 1968, माधोकर आयोग 1968, सरकारिया आयोग 1976, ग्रोवर आयोग 1977, विमदा लाल आयोग 1977, गुरदेवसिंह आयोग 1979, छांगला आयोग 1956, अय्यर आयोग 1967, माधोलक्कर आयोग 1968, रेड्डी आयोग 1977, वोहरा समिति 1993, प्रकाश मणि त्रिपाठी कमेटी 2001, फुकन आयोग 2003, पी०सी० चाको कमेटी 2011, वी० के शुगलू कमेटी 2011, एम बी शाह आयोग 2014, जस्टिस मुकुल मुद्गल समिति 2014, जस्टिस शाह विशेष जांच दल 2014।

भ्रष्टाचार निवारण हेतु कुछ प्रमुख सुझाव

विलम्ब भी भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है। हर विभागीय अध्यक्ष या हर कार्यालय के प्रमुख को किसी आवेदन या फाइल पर निर्णय करने के लिए समय अवधि निर्धारित कर देनी चाहिये, जिससे

कि किसी भी स्तर पर कार्रवाई में देरी ना हो। लोगों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सब्सिडी और सरकारी अनुदानों के बारे में उनके हक की पूरी जानकारी दी जाए। सूचना का अधिकार ईमानदारी से लागू हो। नीतियों और फाइलों में किए गए विभिन्न निर्णयों को पारदर्शी बनाया जाए। हर आवेदक को जानने का अधिकार होना चाहिए कि उसका आवेदन पत्र कहाँ रुका पड़ा है। नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए, अनेक कानून ऐसे हैं जिन्हें जनसाधारण समझ नहीं पाता, अनावश्यक कानूनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए, कानून और नियमों का यथासंभव सरलीकरण किया जाना चाहिए।

देश में पंचायतीराज और सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है इसलिए सत्ता का यथासंभव विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उन्हें अपने नजदीकी अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अवहेलना करते हुए तबादलों और पदोन्नतियों जैसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जिन भ्रश्ट व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है उनकी संपत्तियों को सील कर देना चाहिए और उन्हें दोशी साबित होने पर सरकार को उन संपत्तियों को जब्त कर लेना चाहिए।

अंत में यह कहा जा सकता है कि आजकल भ्रष्टाचार लोगों को कोई आघात नहीं पहुंचाता। जब इस प्रकार के कृत्य पकड़े भी जाते है, तब भी मंत्री और बड़े अधिकारी आजाद घूमते है। ज्यादा से ज्यादा उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। जब तक भ्रष्टाचार पर नैतिक, कानूनी और सामाजिक प्रतिबंध नहीं लगते तब तक इसको समाप्त करने या कम करने की कोई संभावना नहीं है। वैसे भ्रष्टाचार को सभी स्तरों पर जड़ से उखाड़ फेंकना संभव नहीं है लेकिन इसे सहन शीलता की सीमा तक रोके रखना संभव है गुणीराम भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह है जिससे प्रत्येक भारतीय को सावधान रहना है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदार लोग जो अपने चरित्र और ईमानदारी के लिए विख्यात है। आर्थिक क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण की कमी, उदारीकरण की नीति और चुनावी खर्चे में नियंत्रण भ्रष्टाचार को रोकने के महत्वपूर्ण नुस्खे हो सकते हैं। लोगों ने भ्रष्ट व्यक्ति को बहुत समय से सहन किया है, अब समय आ गया है जब गंभीर राजनीतिक शासकों द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने की बात को गंभीरता से लिया जाए।

संदर्भ

1. शर्मा, जी०एल०. 'सामाजिक मुद्दें'. रावत पब्लिकेशन. पृष्ठ **207–212.**
2. गुप्ता, एम०एल०., शर्मा, डी०डी०. 'भारतीय सामाजिक समस्याएं'. साहित्य भवन पब्लिकेशन. पृष्ठ **394–397.**
3. पीटर्स, ऐनी. (2019). 'करप्शन एस ए वाइलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट'. 'यूरोपिय जर्नल ऑफ इंटरनेशनल'. *इंटर नैशनल लॉ.* वॉल्यूम 29. पृष्ठ **4.** पब्लिशिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. आहूजा, राम. (2000). 'भारतीय समाज'. रावत पब्लिशिंग. पृष्ठ **385–388, 404.**

5. टानजी, विटो. (1998). 'करप्शन अराउंड द वर्ल्ड कॉस, कंसीक्वेंसेस'. स्कोप एंड कोर्व. आईएमएफ वर्किंग पेपर. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश।
6. कुंदकुरी, यू. (2015). करप्शन इन इंडिया. 'जनरल ऑफ मल्टीडिसीप्लिनरी रिसर्च'. 1(5).
7. देवरायॅ, बी०., भंडारी, एल. (2011). 'करप्शन इन इंडिया'. *'द वर्ल्ड फाइनेंसर रिव्यू'* 3 मार्च।
8. कुमार, गुलशन. (2021). 'ए स्टडी ऑन करप्शन इन इंडिया'. *'इंटरनेशनल जनरल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमन राईज रिसर्च'.* वॉल्यूम 9.
9. गुहान, एस०, सैमुअल, पी. (1997). 'करप्शन इन इंडिया'. *'एजेंडा फॉर एक्शन'.* पब्लिक अफेयर्स सेंटर (ईडीएस)।